न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 39/20 राजस्व
उदयलाल बनाम सरकार
GCMS No. 2020/00050

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस
प्रकरण संख्या **39/2020** अपील (राजस्व)
GCMS No. 2020/00050

श्री उदयलाल पिता श्री लालु जी जाट, निवासी–खालातोड़, तहसील–वल्लभनगर, जिला– उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध आदेश तहसलीदार वल्लभनगर उदयपुर प्रकरण संख्या 237/2020 ना.क. निर्णय दिनांक 30.07.2020(02.09.2020) अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित : श्री ललित जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 20/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 237/2020 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 30.07.2020 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम ख़ालातोड़, तहसील–वल्लभनगर के आराजी नंबर 277 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नंबर 278 रकबा 3 बिस्वा की बिलानाम भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.07.2020 को रा.भू.अधि. की धारा 91 के अधीन अपीलाण्ट को नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 30.07.2020 को अपीलाण्ट को उपरोक्त वर्णित कब्जेशुदा भूमि को खाली कराने एवं 2000 रूपये की शास्ति अधिरोपित किए जाने एवं तीन माह के लिए सिविल जेल में रखे जाने की शास्ति अधिरोपित किए जाने एवं अपीलाण्ट को कब्जा खाली

जिला कलक्टर
उदयपुर

करने का नोटिस जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया। दिंनाक 03.09.2020 को अपीलाण्ट को थाना खेरोदा द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया और उप कारागृह मावली में सिविल जेल भेजे जाने का वारंट जारी किया जिससे व्यथित एवं दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच किए एवं बिना भौतिक सत्यापन किए उक्त आदेश पारित किया। आराजी नंबर 277 व 278 राजकीय भूमि के पडौस में ही अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि लगी हुई है जो अपीलाण्ट को विरासत से प्राप्त हुई है। विगत 25 वर्षों से अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त कर रहा है। अपीलाण्ट द्वारा आवादन कर, अंग मेहनत कर उक्त भूमि को उपजाऊ कर काबिल काश्त बनाया है तथा ज्वार की फसल बो रखी है। ज्वार की खड़ी फसल मौके पर होते हुए भी कागजों में बेदखली के एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया जबकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का अपने पुरखों के समय से कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट को एवं पर्चा मौका में भू–माफियाओं की साक्षी को आधार मानकर बिना मौके की सम्यक जांच किए बिना स्वतंत्र गवाहान की तस्दीक तथा वर्तमान में मौके की क्या फसल बो रखी है तथा उक्त फसल किसने बोई है इसकी बिना जांच किये अपीलाण्ट के विरूद्ध उक्त बेदखली एवं सिविल कारावास का जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायल को सुनवाई को युक्तियुक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में अपीलाण्ट को जेल भेजने की मंशा के चलते उक्त सभी कार्यवाहियां अमल में लायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को दिनांक 26.08.2020 को एक नोटिस धारा 91(3) के तहत जारी कर 7 दिवस में सरकारी कब्जेशुदा भूमि को खाली करने के लिए दिया गया। उक्त नोटिस की तामिल अपीलाण्ट को दिनांक 01.09.2020 को हुई। दिनांक 02.09.2020 को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ इससे पूर्व ही अपीलाण्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा नोटिस देने से पूर्व ही इस कब्जेशुदा बिलानाम भूमि से कब्जा छोड़ दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी कार्यवाहियां तथाकथित भू–माफियाओं के राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभाव से ग्रसित होकर की गई है जो काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर का निर्णय दिनांक 30.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन की कार्यवाही किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलाण्ट को दिनांक 22.07.2020 को ग्राम खालातोड के आराजी नंबर 277 रकबा 14 बिस्वा तथा आराजी नंबर 278 रकबा 3 बिस्वा बिलानाम भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु रा.भू.अधि. की धारा 91 के अधीन नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2020 को अपीलाण्ट पर 2000/– रूपये की शास्ति एवं तीन माह की सिविल कारावास भेजने के आदेश पारित किए गए। दिनांक 03.09.2020 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर थाना खेरोदा द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया। आराजी नंबर 277 एवं 278 राजकीय बिलानाम भूमि के पड़ौस मे ही अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से लगी हुई है तथा अपीलाण्ट उक्त भूमि पर पिछले 25 वर्षो से अधिक से कब्जा काश्त कर रहा है। उक्त भूमि पूर्व में बंजर व अनुपयोग, कृषि योग्य नहीं थी। अपीलाण्ट ने इसे आवादान कर, अंग मेहनत कर, उपजाऊ मिट्टी भर कृषि योग्य बनाया तथा ज्वार की फसल बोई। अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना मौके की जांच किए मात्र भू–माफियाओं के प्रभाव में आकर एंव पटवारी द्वारा उनको गवाह बनया जाकर एकतरफा मौके की रिपोर्ट पेश की। मौके पर एकान्तिक कब्जा या संयुक्त कब्जा है, इसकी जांच किये बिना अपीलाण्ट पर कब्जा पुनरावृति के मिथ्या एवं बेबुनियाद आरोप लगाते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध उक्त बेदखली के आदेश पारित कर दिए जो काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को दिनांक 26.08.2020 को एक नोटिस धारा 91(3) के तहत जारी कर 7 दिवस में सरकारी कब्जेशुदा खाली करने के लिए दिया गया। उक्त नोटिस की तामिल अपीलाण्ट को दिनांक 01.09.2020 को हुई। दिनांक 02.09.2020 को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ इससे पूर्व ही अपीलाण्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। उक्त निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित होकर काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित अधिवक्ता राजकीय द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि ग्राम खालातोड़ के आराजी नबंर 277 रकबा 14 बिस्वा एवं आराजी नंबर 278 रकबा 3 बिस्वा बिलानाम भूमि पर अपीलाण्ट

जिला कलक्टर
उदयपुर

उदयलाल पिता लालु जाट द्वारा अतिक्रमण किए जाने से नियमानुसार अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किए जाकर दिनांक 30.07.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने, 2000 रूपये की शास्ति एवं 3 माह की सिविल जेल में रखे जाने की शास्ति अधिरोपित की गई। अपीलाण्ट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ ही सिविल जेल से रिहा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने से न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जमानत मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए गए। अपीलाण्ट वर्तमान में जेल मे नही है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में उक्त भूमि के नियमन एंव आंवटन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है। अपीलार्थी नियमन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर नियमन की कार्यवाही करावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील मय स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 237/20 (ना.क.) अनवानी पटवारी हल्का भटेवर बनाम उदयलाल पिता लालुराम जाट निवासी खालातोड़ निर्णय दिनांक 30.07.2020 के आदेश से अतिचारी उदयलाल पिता लालुराम जाट निवासी खालातोड़ को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया हैं। अपील के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में अतिचारी ने राजकीय बिलानाम कब्जेशुदा भूमि आराजी नम्बर 277 रकबा 14 बिस्वा एवं आराजी नंबर 278 रकबा 3 बिस्वा भूमि पर वर्तमान में उसका कब्जा नहीं होना व कब्जा छोड दिया है, का अंकन किया जिसके आधार पर अपील के निर्णय तक न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 237/20 (ना.क.) अनवानी पटवारी हल्का भटेवर बनाम उदयलाल पिता लालुराम जाट निवासी खालातोड़ निर्णय दिनांक 30.07.2020 (सिविल कारावास) की पालना स्थगित की गई थी।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार वल्लभनगर की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2022 अनुसार "अतिक्रमी ने मौके से अपना कब्जा आज दिनांक तक नही हटाया है" का अंकन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा ग्राम खालातोड़ के राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नंबर 277 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 278 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बिस्वा पर अतिक्रमण करने की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण तीन माह

जिला कलक्टर
उदयपुर

का सिविल कारावास एवं 2000 रूपये का आर्थिक दण्ड भी दिया गया, जो विधि अनुसार सही है।

अतः अपील अपीलाण्ट इन निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि अपीलाण्ट द्वारा इस आदेश प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस में स्वयं के हर्जे–खर्चे से खसरा नम्बर 277 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 278 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 17 बिस्वा भूमि से अतिक्रमण हटा कर पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाती है तो तहसीलदार का आदेश दिनांक 03.07.2020 में दी गई सिविल कारावास की सजा को निरस्त समझा जावेगा अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2020 यथावत रहेगा, जिसकी पालना तहसीलदार वल्लभनगर आगामी 15 दिवस में सुनिश्चित कर न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर